राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)

Email: rslsajp@gmail.com , rj-slsa@nic.in website: www.rlsa.gov.in

क्रमांकःF7(190)/RSLSA/Estt.-Working Days/2024/ 293 दिनांकः 20.5.24

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश संख्या Gen/XII/05/2024/SC-I/763 दिनांक 08.05.2024 के अनुसरण में समस्त न्यायिक अधिकारीगण को उनके विकल्पानुसार 10 दिवस के ग्रीष्मावकाश के उपभोग की अनुमति देने का निर्णय किया गया है, किन्तु कोई भी न्यायिक अधिकारी को उक्त ग्रीष्मावकाश दो भाग में देय नहीं होगा। (आदेश की प्रति संलग्न है)

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर एवं समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में पदस्थापित न्यायिक अधिकारीगण के पक्ष में निर्देशानुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.05.2024 में वर्णित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत नियमानुसार 10 दिवस के ग्रीष्मावकाश के उपभोग की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है। इस संबंध में पदस्थापित अधिकारीगण यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ग्रीष्मावकाश अवधि के दौरान उनके लिंक अधिकारी उपस्थित रहें ताकि कार्यालय का कार्य बाधित ना हो एवं विधिक सेवा कार्यक्रमों की क्रियान्विति भी यथावत रहें।

अतः समस्त अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि 03 जून, 2024 से 30 जून, 2024 कुल 28 दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान 10 दिवस के ग्रीष्मावकाश के इच्छुक अधिकारीगण दिनांक 29.05.2024 से पूर्व उक्त अवकाश उपभोग करने की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करावें।

आज्ञा से,

(signature) 20/5/2024

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

जयपुर

क्रमांकः F7(190)/RSLSA/Estt.-Working Days/2024/ 3057-3109 दिनांकः 20.5.24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
3. निजी सचिव, माननीय जज इंचार्ज महोदय, मीडिएशन, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
4. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. अध्यक्ष/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
8. निदेशक/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव–प्रथम/द्वितीय/एपी एवं एडीआर, रालसा।
9. सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
10. वरिष्ठ उप सचिव/लेखाधिकारी/संस्थापन शाखा/लेखा शाखा, रालसा, जयपुर।
11. संबंधित कोषाधिकारी, कोष कार्यालय।
12. नोड़ल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करावें।
13. संबंधित पत्रावली/आदेश रक्षित पत्रावली।

(signature) 20-5-2024.

निदेशक

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

जयपुर

क्रमांक : Gen/XII/05/2024/ SC-I /763 दिनांक :08.05.2024

प्रेषक : रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

प्रेषिति : 01. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
02. समस्त विशिष्ट न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय ।

विषय : वर्ष 2024 में ग्रीष्मावकाश उपभोग करने बाबत्।

महोदय,

निर्देशानुसार उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संलग्न आदेश के अनुसरण में समस्त न्यायिक अधिकारीगण को उनके विकल्पानुसार 10–10 दिवस के ग्रीष्मावकाश के उपभोग की अनुमति देने का निर्णय लिया गया हैं किन्तु किसी भी न्यायिक अधिकारी द्वारा उक्त ग्रीष्मावकाश का दो भाग में उपभोग नहीं किया जाएगा।

न्यायक्षेत्र का कार्य सुचारू रूप से सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करने के कम में ग्रीष्मावकाश का उपभोग करने के इच्छुक न्यायिक अधिकारीगण आपसी विचार–विमर्श के पश्चात् अलग–अलग अवधि में अवकाश उपभोग करने की सूचना संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश को प्रेषित करेंगें, जिस पर संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश ग्रीष्मावकाश उपभोग करने वाले न्यायिक अधिकारीगण की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय के आवश्यक कार्य सम्पादन करने हेतु उपयुक्त व्यवस्था करते हुए समेकित प्रस्ताव इस कार्यालय को दिनांक 31.05.2024 तक पृष्ठांकित प्रारूप में जरिये ई–मेल rulespractice-rhc@hcraj.nic.in पर Times New Roman में Font size "14" में DOC Format में प्रेषित करेंगे। निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

Estt.
20/5/24

समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 6/पी. आई./1990 दिनांक 09.03.1990 के अनुसरण में ग्रीष्मावकाश की अवधि में सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अपने न्यायक्षेत्र के सभी न्यायालयों में अन्तरण द्वारा या अन्यथा पर्याप्त फौजदारी कार्य की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

कृपया पत्र की प्रति अपने न्यायक्षेत्र के सभी न्यायिक अधिकारीगण को प्रसारित करें और उनके द्वारा प्राप्त वांछित सूचना समेकित कर निर्धारित प्रपत्र में यथासमय इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
8-5-24
(युधिष्ठिर शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

PROFORMA
(Subordinate Courts Estt.)

Name of Judgeship : ____________________

S.No.	Name of Officer with designation who has been given permission to avail summer vacation	Period of Summer vacation		Remarks
1.	2.	3.	4.	5.

(Note: Information be sent in Times New Roman Font on rulespractice-rhc@hcraj.nic.in in DOC Format)

SECTION RULES & PRACTICE RHC JODHPUR

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

:: आदेश ::

क्रमांक : 03/विविध/2024 दिनांक : 08.05.2024

समस्त अधीनस्थ सिविल न्यायालय ग्रीष्मावकाश के कारण सोमवार दिनांक 03 जून, 2024 से रविवार 30 जून, 2024 (कुल 28 दिवस) तक बन्द रहेंगें, लेकिन शीतकालीन अवकाश की भांति आवश्यक प्रकृति का सिविल कार्य सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी/लिंक अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जाएगा।

उक्त ग्रीष्मावकाश की अवधि में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम/भ्रष्टाचार निरोधक मामले/सी.बी.आई. मामले/स्वापक औषधी एवं मनः प्रभावी पदार्थ प्रकरण एवं स्टेशनरी एवं गबन प्रकरण/साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण/ महिला उत्पीड़न/जाली नोट प्रकरण इत्यादि), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट सहित सभी पीठासीन अधिकारीगण अपने न्यायालय में लंबित फौजदारी प्रकरण एवं ग्रीष्मावकाश हेतु अंतरित फौजदारी प्रकरणों की सुनवाई एवं निस्तारण का कार्य करेंगें ।

समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 6/पी. आई. दिनांक 09.03.1990 के अनुसार उपरोक्त अवधि में अपने न्यायक्षेत्र के उन न्यायालयों को जो अनन्यतः दीवानी कार्य कर रहे हैं उन्हें सुनवाई एवं निस्तारण हेतु समुचित फौजदारी कार्य (अपील, रिवीजन तथा अन्य ऐसे मामले जो अन्तिम बहस के प्रक्रम पर हो तथा जिनका उक्त अवधि में निस्तारण हो सकता हो) अन्तरित करेंगे एवं यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ग्रीष्मावकाश के दौरान किसी भी न्यायालय में कार्य की न्यूनता न हो।

दिनांक 15.07.2024 तक समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश यह सूचना संलग्न प्रारूप में आवश्यक रूप से जरिये ई-मेल (rulespractice-rhc@hcraj.nic.in) भिजवायेंगे, कि उक्त अवधि में कुल कितने प्रकरणों का अन्तरण किया गया तथा उनमें से इस समयावधि में वर्गवार कुल कितने प्रकरणों का, अन्तरण के अलावा निस्तारण हुआ।

न्यायालयों में जिन अनुभागों (शाखाओं) में काम बकाया पड़ा है उसमें नियुक्त कर्मचारियों को ग्रीष्मावकाश की अवधि में अवकाश पर जाने की अनुमति न दी जावें, वे सदा की तरह अपना कार्य करते रहेंगे, ताकि जब न्यायालय खुले तब कार्य बकाया न रहे।

सिविल मामलों में सभी वाद पत्र अपीलें जो न्यायालय बन्द न होने की परिस्थिति में ग्रीष्मावकाश की अवधि में प्रस्तुत की जाती, न्यायालय खुलने के दिन प्रस्तुत की जावेंगी।

आज्ञा से,

(युधिष्ठिर शर्मा)
रजिस्ट्रार(प्रशासन)